(241)

(117)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

प्रकरण क्रमांक R 1265-तीन/14

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

R-1265-III/14

छोटकऊ यादव तनय श्री बिशेश्वर यादव साकिम शंकरपुर, तहसील त्यौंथर, जिला रीवा म0प्र0 --आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

---अनावेदक/गैर पुनरीक्षणकर्ता

1. म0प्र0 शासन
2. महादेव चर्मकार तनय रामेश्वर चर्मकार साकिन शंकरपुर तह. त्योंथर जिला रीवा (म.प्र)

श्री देवेश मिश्रा (ए.एस.) द्वारा पेश 7.3.14

मा.न. आपत्ति के आ.दि. 20/7/17 के अनुसार संशोधन किया

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

प्रदेश मिश्रा (ए.एस.) 27/12/2017

121 7.3.14

राजस्व निरीक्षक मंण्डल चाकघाट, तहसील त्यौंथर जिला रीवा के प्र0क्र07अ12/013-014 मे पारित आदेश दिनांक 25.12.13 के बिरूद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता

महोदय,

निगरानी के तथ्य:-
=================

आवेदक की साकिम शंकरपुर अपने स्वत्व की आराजी नं. 106 रकबा 1.647हे. के सीमांकन वास्ते आवेदन दिया, जिस आवेदन पर दिनांक 25.12.13 से राजस्व निरीक्षक मंण्डल बृत्त चाक एवं हल्का पटवारी क्रमांक 39 शंकरपुर, तहसील त्यौंथर द्वारा दिये गये सीमांकन प्रतिवेदन पर त्रुटिपूर्ण आदेश दिनांक 25.12.13 को पारित कर दिया गया जिससे पीड़ित होकर जहां यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है, वही यह स्पस्ट किया जारहा है कि आवेदक द्वारा पूव मे भी उक्त आराजी के सीमांकन वास्ते नायब तहसीलदार त्यौंथर के न्यायालय मे प्र0क्र06अ12/2002-2003 प्रस्तुत किया था, जिस पर दिनांक 22.7.2003 को आदेश पारित किया गया जिस पर सरहददी काश्तकार मौजूद रहे, यह आपत्ति की गयी कि सजीपी भूमिनम्बर 111/3 एवं 114/3 प्रभावित होते है, तब महादेव के द्वारा प्रकरण क्रमांक 42अ12/01-02 के द्वारा पूर्व मे सीमांकन हेतु आवेदन, प्रस्तुत किया गयाथा जिस पर दिनांक 5.7.2002 को आदेश पारित किया गयाथा जिस पर दिनांक 5.7.2002 को आदेश पारित किया गयाथा

वी आर सी अधिवक्ता प्रदेश मिश्रा एड 7/3/2014 1167

7-4-14

नि.अं. छोटकऊ

(117)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.1265-III/14 जिला रीवा

छोटकउन विरूद्ध म.प्र. शासन

1	2	3
16-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री ..... मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त ..... तहसील ..... के प्रकरण क्रमांक 07/अ-12/13-14 में पारित आदेश दिनांक 25-12-13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 28-03-19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

7-4-14

क्रमांक 423अ/2/01-02 के द्वारा पूर्व मे सीमांकन हेतु आवेदन, प्रस्तुत किया गया था जिस पर दिनांक 5.7.2002 को आदेश पारित किया गया था जिस पर दिनांक 5.7.2002 को आदेश पारित किया गया था